संशोधित निरीक्षण टिप्पणी

उत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा जंधई–प्रतापगढ़–अमेठी रेल ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद–**जौनपुर** में (किमी0–847.170 से 868.000 तक) प्रभावित **11.5778 हे0** संरक्षित वन भूमि एवं **450** वृक्षों/पौधों के पातन, जनपद–**प्रतापगढ़** में (किमी0 868.000 से 924.000 तक) प्रभावित 29.5555 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं **4471** वृक्षों/पौधों (**2673** वृक्ष/पौध तथा **1798** प्राकृतिक रूप से उगे 0–30 से0मी0 के पौधे) के पातन तथा जनपद–**अमेठी** में (किंमी0 924.000 से 934.450 तक) प्रभावित **6.1698 हे0** संरक्षित वन भूमि एवं 2816 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात **कुल–47.3031** हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक **7737** वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव उत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर रेलवे द्वारा जनपद–जौनपुर में रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में **11.5778 हे0** प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–**22.12.2020** को अधोहस्ताक्षरी तथा श्री राकेश कुमार सहायक, अधिशासी अभियंता/निर्माण/पी0आर0जी0 उत्तर रेलवे लखनऊ के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल, बाघ रिजर्व, हाथी कारिडोर आदि का भाग नही है तथा किसी सुरक्षित पुरातत्वीय/परम्परिक अथवा रक्षा प्रतिष्ठान या अन्य किसी महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नही है। परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा कोई विकल्प नही है। प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है और मांगी गयी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते न्यूनतम है।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक–05.02.2021

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त वाराणसी।